REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13092022-238766 CG-DL-E-13092022-238766

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 614]	नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 13, 2022/भाद्र 22, 1944
No. 614]	NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2022/BHADRA 22, 1944

# रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

अधिसूचना

# नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 694(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम, 1998 (1998 का 13) की धारा 36 की उपधारा (1) के अनुसरण में राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के शासी बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 27 के अधीन बनाए गए पहले परिनियम में उक्त संस्थान के कुलाध्यक्ष की पूर्व अनुमति से किए गए निम्नलिखित और संशोधनों को प्रकाशित करती है, अर्थात् :-

 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) परिनियम, 2022 है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान परिनियम के परिनियम 9 में, "65" अंक के स्थान पर "70" अंक रखा जाएगा।

[फा. सं. 50020/29/2015-एनआईपीईआर]

रजनीश तिंगल, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल परिनियम सा.का.नि. 391, तारीख 30 अक्टूबर, 2003 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार सा.का.नि. 355 तारीख 27 नवंबर, 2019 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

# MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

## (Department of Pharmaceuticals)

## NOTIFICATION

### New Delhi, the 13th September, 2022

**G.S.R. 694(E).**—In pursuance of sub-section (1) of section 36 of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act, 1998, (13 of 1998), the Central Government hereby publishes the following further amendments to the first Statutes of National Institute of Pharmaceutical Education and Research made under section 27 of the said Act by the Board of Governors of the said Institute with the previous approval of the Visitor, namely:-

**2.** Short title and commencement.—(1) These Statues may be called the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Statutes, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Statutes in Statute 9, for the figure "65", the figure "70" shall be substituted.

[F. No. 50020/29/2015-NIPER]

RAJNEESH TINGAL, Jt. Secy.

**Footnote :** The Principal Statutes were published vide G.S.R. 391 dated the 30<sup>th</sup> October, 2003 in the Gazette of India, Part-II, section 3, sub-section (i) and last amended vide G.S.R. 355 dated 27<sup>th</sup> November, 2019.